

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
निविदा सूचना

प्राधिकरण के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन के लिए आई0एन0एस से पूर्ण मान्यता प्राप्त एजेंसियों से एक वर्ष के लिए (यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है) मोहसबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों की बिक्री दिनांक 26/03/2026 के अपरान्ह से 02:00 बजे तक की जायेगी। निविदा सचिव, कार्यालय में दिनांक 28/03/2026 को अपरान्ह 02:00 बजे तक प्राप्त की जायेगी। निविदा प्रपत्र के साथ रू0-10,000.00 का एफ0डी0आर0 जो सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के पक्ष में बंधक होगा, प्राप्त निविदाओं को दिनांक 30/03/2026 को अपरान्ह 04:00 बजे सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा, शेष शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट WWW.gdagkp.in पर उपलब्ध हैं।

(7/03/26)

सचिव,

गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
निविदा की सामान्य शर्त

समाचार पत्रों में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन के प्रकाशन के लिए आई0एन0एस0 से पूर्ण मान्यता प्राप्त एजेन्सियों से एक वर्ष के लिए (यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है) निम्नलिखित विवरण के साथ मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं:-

1. निविदा प्रपत्र के साथ रू0-10,000.00 का एफ0डी0आर0 जो सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के पक्ष में बंधक होगा, धरोहर धनराशि के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय से रू0-500.00 नकद + जी0एस0टी0 का भूगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
3. एजेन्सी द्वारा अपनी तकनीकी बिड में निम्न सूचना/प्रपत्र उपलब्ध कराये जायेंगे:-
 - (क) (अ) एजेन्सी का नाम एवं पता, दूरभाष/फैक्स नं0/ई-मेल सहित संलग्न करना होगा।
(ब) प्रेस विज्ञापन कार्य का अनुभव तथा अन्य सरकारी विभागों, पब्लिक सेक्टर अन्टरटेकिंग आदि में कार्य किया गया/किया जा रहा है उल्लेख करें। न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।
(स) विज्ञापनों का स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के लिए वाछित न्यूनतम समय।
 - (ख) निम्नलिखित विषयों पर आधारित सजावटी विज्ञापनों के डिजाईन आकार 25×16=400 वर्गसेमी0 के नमूने हिन्दी में तैयार कर निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
(अ) प्राधिकरण के किसी काल्पनिक आवासीय/व्यवसायिक योजना से सम्बन्धित विज्ञापन का प्रारूप।
(ब) किसी व्यवसायिक बहुमंजिली व्यवसायिक काम्प्लेक्स की डिजाईन एवं उसका विज्ञापन का प्रारूप। निविदा के साथ भेजी गयी डिजाईन किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी तथा उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को यह अधिकार होगा कि उसका जैसा चाहें उपयोग करें।
 - (ग) एजेन्सी के चुनाव सम्बन्धित यह विज्ञापन सूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित है, उसका न्यूनतम स्थान में हिन्दी भाषा में ले-आउट।
 - (घ) निविदा के साथ आई0एन0एस0 से मान्यता अद्यतन प्रामाण-पत्र, आयकर अदेयता-प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। एजेन्सी द्वारा उपरोक्त सभी प्रपत्र जो (क), (ख), (ग) व (घ) में वर्णित हैं, उन्हें एक मुहरबन्द लिफाफे में बन्द किया जायेगा, जिसके ऊपर "विज्ञापन एजेन्सी के लिए तकनीकी बिड" लिखा हुआ होगा।

4. एजेन्सी द्वारा वित्तीय बिड के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ सलग्न प्राईस बिड प्रारूप पर अपनी वित्तीय बिड संलग्न की जायेगी, जिसमें मुहरबन्द लिफाफे के ऊपर " विज्ञापन एजेन्सी के लिए वित्तीय बिड " लिखा जाये।
5. उक्त दोनों लिफाफों तकनीकी बिड का व वित्तीय बिड का एक बड़े लिफाफे में बन्द कर जिसके ऊपर "विज्ञापन एजेन्सी के लिए निविदा" लिखा हुआ हो बन्द कर सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के कार्यालय में दिनांक-28/03/2026 को अपराह्न 02:00 बजे तक निविदा पेट्टी में डालना होगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा, प्राप्त निविदाओं को दिनांक-30/03/2026 के अपराह्न 04:00 बजे खोला जायेगा।
6. एजेन्सियों को चयन के उपरान्त गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियम व शर्तों एवं समय-समय पर जारी किये गये अन्य निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
7. उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकारी सुरक्षित होगा।
8. चयनित एजेन्सी द्वारा किसी भी समय प्राधिकरण की शर्तों का उल्लंघन किये जाने या कार्य में असफल रहने पर निविदादाता द्वारा जमा जमानती धनराशि को प्राधिकरण द्वारा जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
9. नोटिस या विज्ञापन की दरें समाचार पत्रों में सीधे छपवाये जाने पर जो दर लागू हो, उसके बराबर या उससे निम्न ही स्वीकार की जायेगी।
10. विज्ञापन क प्रकाशन या एजेन्सी की कोई गलती या त्रुटि होने पर संशोधन छपवाने जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित एजेन्सी की होगी। इसके लिए अलग से कोई धनराशि देय नहीं होगी।
11. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का अन्तिम निर्णय/अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर का मान्य होगा।
12. एजेन्सी का गोरखपुर महानगर में कार्यालय होना अनिवार्य है।



सचिव,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

उपाध्यक्ष,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

